कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी सदर गाजीपुर (तत्काल)

पत्रांकः 146-50 / 2025-26 दिनांक- 04.07.2025

कार्यालय आदेश

सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के आदेश पत्रांक 7395/2025-26 दिनांक 30.06.2025 के द्वारा परिषदीय शिक्षक एवं शिक्षिकाओं का स्थानान्तरण / समायोजन उनके द्वारा स्वेच्छा से किये गये आवेदन के आधार पर सूची के कॉलम संख्या-11 में अंकित विद्यालय में उनके द्वारा चुने गये विकल्प की वरियता क्रम में उसी पद एवं वेतनक्रम में किया गया। उक्त के क्रम में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर के पत्रांकः 2363-72/2025-26 दिनांक 30.06.2025 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा कतिपय शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को स्थानान्तरित / समायोजित विद्यालय/वि०ख० हेतु कार्यमुक्त किया गया। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर के पत्रांकः 2645/2025-26 दिनांक 01.07.2025 के साथ संलग्न सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के आदेश पत्रांक 7697-7778/2025-26 दिनांक 01.07.2025 में निर्गत निर्देशों के क्रम में समस्त ऐसे कार्यमुक्त हुए शिक्षक एवं शिक्षिकाएं जिनके कार्यमुक्त होने से विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 एवं उत्तर प्रदेश निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011 के मान मानकों के अनुसार छात्र शिक्षक अनुपात प्रभावित हुआ है निम्न अध्यापकों की कार्यमुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।-

S.NO	TEACHER'S NAME	DESGN	SCHOOL NAME (स्थानांतरित पूर्व)	ALLOTED SCHOOL NAME	ALLOTED BLOCK NAME
1	2	3	4	5	6
1	RAM AWADH SINGH KUSHWAHA	ATUPS	CS FADANPUR	UPS NONHARA	MOHAMDABAD
2	KAISAR JAHAN	HMPS	PS RUHIPUR	CS SAKRA	GHAZIPUR

समस्त सम्बन्धित शिक्षक एवं शिक्षिकाएं तत्काल अपने मूल विद्यालय में नियमानुसार कार्यभार ग्रहण कर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

(आलोक कुमार)
खण्ड शिक्षा अधिकारी
सदर गाजीपुर

पृ०सं० / 146-50 / 2025-26 तददिनांकित

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गाजीपुर ।
2 वित्त एवं लेखाधिकरी, बेसिक शिक्षा, गाजीपुर ।
3. खण्ड शिक्षा अधिकारी, जनपद गाजीपुर को इस आशय से कि वि०ख०-सदर गाजीपुर से कार्यमुक्त हुए शिक्षक एवं शिक्षिकाओं को संलग्न पत्र के बिन्दु संख्या-06 के अनुसार गहनता से परीक्षणोपरांत ही कार्यभार ग्रहण करायें।
4. समस्त स्थानान्तरित / समायोजित शिक्षक एवं शिक्षिकाएं, वि०ख०-सदर, गाजीपुर को इस निर्देश के साथ कि उक्त आदेश का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की शिथिलता के लिये सम्बन्धित शिक्षक स्वयं उत्तरदायी होगा।
5. खण्ड शिक्षा अधिकारी मु०बाद को इस आशय के साथ कि सचिव, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज के आदेश पत्रांक 7697-7778/2025-26 दिनांक 01.07.2025 के बिन्दु संख्या-06 के अनुपालन में उपरोक्त पत्र में क्रम संख्या 01 पर अंकित अध्यापक को उनके मूल विद्यालय हेतु कार्यमुक्त करने का कष्ट करें।

खण्ड शिक्षा अधिकारी
सदर गाजीपुर

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with OKEN Scanner